परिपत्र संख्या 18/10

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
"कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(37)जन/10/5197 दिनांकः 9.6.2010

परिपत्र

विषयः परिपत्र संख्या 15/10 में संशोधन बाबत।

इस विभाग के परिपत्र संख्या एफ–7(37)जन/10/3051–3500 दिनांक 13.5.10 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि एक जिले में पदस्थापित किसी भी उप पंजीयक के यहाँ दस्तावेज का पंजीयन कहीं भी पंजीयन योजना (ANY WHERE REGISTRATION) के अन्तर्गत पेश कर करवाया जा सकता है।

इस प्रकार के मामलों में यह भी निर्देशित किया गया कि उप पंजीयक के क्षेत्र के बाहर स्थित अचल सम्पत्ति से संबंधित दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होता है तो इस प्रकार के दस्तावेज के साथ निष्पादक (क्रेता–विक्रेता) से इस आशय का संयुक्त शपथ–पत्र लिया जावे कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज परिपत्र संख्या 15/10 में अंकित कौनसे कारणों से पंजीयन हेतु क्षेत्राधिकार से भिन्न उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.2(26)वित्त/कर/98–45 दिनांक 22.5.03 के अनुसार जिन दस्तावेज में आवंटित/बिक्रीत अचल सम्पत्ति की मालियत गणना बाजार मूल्य के स्थान पर इस अधिसूचना के अनुसार होती है, उन दस्तावेजों के एनीवेहर पंजीयन योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत होने पर परिपत्र संख्या 15/10 के अनुसार पक्षकारगणों से शपथ–पत्र नहीं लिया जावे। उदाहरणार्थ विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास आदि द्वारा जारी लीजडीडस जिनमें बाजार मूल्यानुसार मुद्रांक शुल्क नहीं लिया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भी ऐसे दस्तावेज प्राप्त होते हैं जिनमें राज्य सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क दस्तावेज में अंकित स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर, अधिसूचना में उल्लेखित मूल्य शुल्क/पैनल्टी/रेन्ट/एडवांस/सिक्यूरिटी आदि जोड़कर वसूल किया जाना प्रावधित होता है। ऐसे मामलों में भी सामान्यतः परिपत्र संख्या 15/10 के अनुसार शपथ–पत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

महानिरीक्षक, 09/6
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-7(37)जन/10/5194-5646 दिनांक 9.6.2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
8. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

9/6/10

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

F7-Circular-10